न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

[illegible] 1007 [illegible] 09 विरूद्ध आदेश दिनांक 17 [illegible] 09 [illegible] [illegible] 260 अपील 01-02 [illegible]

1. [illegible] पिता गाजी मुसलमान
2. कुमारी दुरलजुआ जौजे सकूर मोहम्मद
3. [illegible]नीरून्निशा जौजे नशीरूददीन
4. [illegible]बराती तनय सकूर मोहम्मद
5. अब्दुल मजीद तनय सकूर मोहम्मद
6. [illegible] बकस तनय सकूर मोहम्मद
7. [illegible]ब्बीर मोहम्मद तनय सकूर मोहम्मद

सभी निवासी ग्राम बल्हरा तह0 सिहावल
जिला सीधी म0प्र0 आवेदकगण

विरूद्ध

रहमत पिता गाजी मुसलमान
निवासी ग्राम बल्हरा तह0 सिहावल
जिला सीधी म0प्र0 ----- अनावेदक

आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री एस. के. श्रीवास्तव ।

: आदेश :

(आज दिनांक [illegible] को पारित)

1. [illegible] निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के [illegible] 260 अपील 01-02 [illegible] आदेश दिनांक 17 [illegible] 09 के विरूद्ध [illegible] [illegible] जिला [illegible] [illegible] अधिनियम [illegible] की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक रहमत पिता गाजी मुसलमान [illegible] निरीक्षक [illegible] आपत्ति [illegible] द्वारा [illegible] [illegible] के [illegible]

[illegible]

07 1 [illegible] के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जो अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 12-12-01 द्वारा स्वीकार की [illegible] निरीक्षक द्वारा पारित नामांतरण निरस्त करते हुए प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि इश्तहार का विधिवत प्रकाशन कर हितबद्ध व्यक्तियों को समुचित सुनवाई का अवसर देकर आदेश पारित किया जाय । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4- अनावेदक प्रकरण में एकपक्षीय है ।

5- आवेदक अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा आलोच्य आदेशों को देखा गया । यह प्रकरण नामांतरण का है । प्रकरण में राजस्व निरीक्षक द्वारा नामांतरण पंजी क. 8 द्वारा अनावेदक के बजाय आवेदकों का नामांतरण किया गया । इसके विरूद्ध अपील में अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण प्रत्यावर्तित करते हुए पुनः जांच के आदेश दिए इस आदेश के विरूद्ध आलोच्य आदेश पारित हुआ है । आलोच्य आदेश में अपर आयुक्त ने यह पाया है कि प्रकरण में अनावेदक सहमति का जो अंगूठा है वह उसका है इसको प्रमाणित करने के लिए किसी गवाह के हस्ताक्षर नहीं है और राजस्व निरीक्षक ने दिनांक 22-12-94 को इश्तहार प्रकाशन के लिए पटवारी को निर्देशित किया गया था इसमें पक्षकारों को उपस्थित होने के लिए कोई निर्देश नहीं थे । प्रकरण में कैंप और दिनांक भी अंकित नहीं थी फिर उक्त दिनांक को कार्यवाही कैसे हुइ यह भी विचारणीय है क्योंकि संलग्न इश्तहार और राजस्व निरीक्षक के लेख में कोई मिलान नहीं है और वह विश्वसनीय नहीं है । नामांतरण में भूमिस्वामी की भूमि अन्य के नाम कर दी गई जो वैधानिक नहीं है । वर्ष 1995 में राजस्व निरीक्षक को नामांतरण के अधिकार थे या नहीं क्योंकि जब 93 में पंचायत अधिनियम लागू हो गया था । उन्होंने यह भी माना है कि आपसी हिस्सा बटवारे का कोई [illegible] प्रस्तुत नहीं हुआ और उक्त आधारों पर राजस्व निरीक्षक के आदेश को अधिकारिता से [illegible] [illegible] कारण उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि [illegible]

[illegible] में आदेश अभिलेख को देखते हुए औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधिसम्मत [illegible] इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है जिसके कारण उसमें हस्तक्षेप आवश्यक हो।

परिणामस्वरूप यह निगरानी निरस्त की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा [illegible] आदेश स्थिर रखा जाता है।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर